में जारी हुए

13/5/15 पक्षकारान के वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस तारीख 27.5.15 को पेश हो।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

04/6/15 आज यह पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व लोक अदालत कैम्प गुड़ामालानी में प्रस्तुत हुई,जिसके लिये उभय पक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। आवेदनकर्ता बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। अप्रार्थी गणपत उपस्थित रहे। दीगर अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहे। प्रार्थी एंव अप्रार्थी पक्ष के वकील बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहे।

प्रार्थीनी ने यह आवेदन पत्र धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर,सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के न्यायालय में विचाराधीन आवेदन पत्र संख्या 223/12 गणपत वगैरा बनाम चेलाराम वगैरा का अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण करने हेतु निवेदन किया।

इस प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी संख्या 04 गणपत को सुना गया एंव पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थीनी ने अपने आवेदन पत्र में प्रकरण स्थानान्तरण करने के जो कारण बताये है,वे प्रकरण स्थानान्तरण करने हेतु पर्याप्त आधार नहीं है,क्योंकि अप्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी पेश की है,जो विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीनी सहायक कलक्टर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से क्षुब्ध है,उनका स्थानान्तरण भी हो चुका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय खुले कैम्प न्यायालय गुड़ामालानी में सभी उपस्थित जनो के समक्ष सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

4.6.15
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:36:38 IST
Reason: SelfAttested